

कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) बिहार, पटना

का.आ.सं.-प्रशासन-1(ले.प.)/विविध/चुनाव/22-23/C-418

दिनांक: 27.12.2022

कार्यालय आदेश

राज्य में होने वाले नगरपालिका आम निर्वाचन-2022 में मताधिकार का प्रयोग करने के लिए, कामिक और प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन सं-12/14/99-JCA दिनांक 10.10.2001 के अनुसार, मतदान के लिए विशेष सुविधा प्रदान करते हुए मतदान के दिन कार्यालय विलंब से आने अथवा कार्यालय पहले छोड़ने अथवा कार्यालय अवधि के दौरान कुछ देर की अनुपस्थिति की विशेष अनुमति का प्रावधान है।

उक्त के संबंध में कार्यालय में कार्यरत वैसे अधिकारी/कर्मचारी जो अपने संबन्धित नगर निगम/नगर परिषद/नगर पंचायत के वास्तविक मतदाता (*Bona-fide voter*) हैं और अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए इच्छुक हैं, वे मतदान के दिन कार्यालय विलंब से आने अथवा कार्यालय पहले छोड़ने अथवा कार्यालय अवधि के दौरान कुछ देर की अनुपस्थिति के लिए विशेष अनुमति अपने स्कन्धअधिकारी/नियंत्रि अधिकारी से प्राप्त करेंगे। साथ ही मतदाता पहचान पत्र एवं मतदाता सूची की छायाप्रति अपने आवेदन के साथ संलग्न करेंगे।


(प्राधिकार: महालेखाकार (ले.प.) का आदेश दिनांक 27.12.2022)

ह०/-

उप महालेखाकार (प्रशासन)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रसारित:-

1. सचिव, महालेखाकार (ले०प०)बिहार, पटना।
2. सभी स्कन्ध अधिकारीगण का सचिवालय।
3. व.ले.प.अ./ए.एम.एस. अनुभागको इस अनुरोध के साथ कि उक्त कार्यालय आदेश का प्रकाशन कार्यालय के वेब-साइट पर किया जाए।
4. कार्यालय आदेश पुस्तिका।
5. सूचना पट्ट।
6. सभी एसोसिएशन के WhatsApp ग्रुप।


27/12/22
वरीय लेखा परीक्षा अधिकारी(प्रशासन)